



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2017/आषाढ़ 6, 1939

No. 536]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2017/ASADHA 6, 1939

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2017

सा.का.नि. 645(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) एवं (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, "सिक्किम" सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2017 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "सिक्किम" शीर्षक और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सिक्किम

	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ झूटी पद	18
	पुलिस महानिदेशक, सिक्किम	1

	पुलिस, अपर महानिदेशक, एसबी	1
	पुलिस, अपर महानिदेशक सीआईडी एवं सीपी	1
		1
	पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय	1
	पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण	1
	पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था	
	निदेशक, सिक्किम सतर्कता पुलिस बल	1
	पुलिस उप महानिरीक्षक- विशेष शाखा	1
	पुलिस उप महानिरीक्षक- रेंज	1
	पुलिस उप महानिरीक्षक- आयोजना/आधुनिकीकरण/सम्प्रेषण	1
	पुलिस अधीक्षक- जिला	4
	पुलिस अधीक्षक-अपराध	1
	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)	1
	कमांडेंट- एसएपी	1
	कमांडेंट आईआर बटालियन	1

1.	कुल वरिष्ठ झूटी पद	18
2.	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं।	07
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं।	04
4.	प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं।	01
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं।	02
6.	भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं।	10
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5-6)	22
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	32"

[सं. 11052/03/2017-अ.भा.से.-II(क)]

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व सिक्किम संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 32 थी।

टिप्पणी 2: प्रधान विनियम दिनांक 22.10.1955 की का.नि.आ. सं. 3350, के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, उन्हें सिक्किम संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तारीखों द्वारा संशोधित किया गया था:-

क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	400अ	16.06.76
2.	699	03.06.78
3.	882	18.10.86
4.	365	22.06.91
5.	320 अ	31.03.95
6.	740 अ.	31.12.97
7.	111 अ.	03.03.98
8.	511	21.12.02
9.	192 अ	24.03.09
10.	513 अ	16.06.10

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 27th June, 2017

NOTIFICATION

G.S.R. 645(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Sikkim**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of cadre Strength) fourth Amendment Regulations, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “**Sikkim**” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

“SIKKIM

Senior Duty Posts under the State Government	18
Director General of Police, Sikkim	1
Additional Director General of Police- SB	1
Additional Director General of Police- CID & CP	1
Inspector General of Police, HQ	1
Inspector General of Police, Armed Police & Training	1
Inspector General of Police- Law & Order	1
Director, Sikkim Vigilance Police Force	1
Deputy Inspector General of Police- Spl. Branch	1
Deputy Inspector General of Police- Range	1
Deputy Inspector General of Police- Plan./Mordn./Comn.	1

	Superintendent of Police- Districts	4
	Superintendent of Police- Crime	1
	Assistant Inspector General of Police- (HQ)	1
	Commandant- SAP	1
	Commandant IR Bn.	1
1	Total Senior Duty Posts	18
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	07
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	04
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	01
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	02
6	Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1,2,3 & 4 above	10
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	22
	Total Authorized Strength	32

[F. No. 11052/03/2017- AIS-II (A)]

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy.

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Sikkim Cadre was 32.

Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide S.R.O. No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Sikkim Cadre by the following GSR No. and date:-

Sl. No.	G.S.R. No.	Date
1.	400E	16.06.76
2.	699	03.06.78
3.	882	18.10.86
4.	365	22.06.91
5.	320E	31.03.95
6.	740E	31.12.97
7.	111E	03.03.98
8.	511	21.12.02
9.	192E	24.03.09
10.	513E	16.06.10

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2017

सा.का.नि. 646(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, सिक्किम सरकार के साथ परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2017 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में, अनुसूची-II में

राज्य सरकारों के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों" से संबंधित भाग क में प्रथम कॉलम में होने वाली "सिक्किम" प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"सिक्किम

पुलिस महानिदेशक, सिक्किम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
पुलिस, अपर महानिदेशक, एसबी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
पुलिस, अपर महानिदेशक सीआईडी एवं सीपी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक, सिक्किम सतर्कता पुलिस बल	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पुलिस उप महानिरीक्षक- विशेष शाखा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
पुलिस उप महानिरीक्षक- रेंज	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क
पुलिस उप महानिरीक्षक- आयोजना/आधुनिकीकरण/सम्प्रेषण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क "

ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों से संबंधित भाग ख में, "सिक्किम" शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को तालिका में प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

"पुलिस अधीक्षक-जिला
पुलिस अधीक्षक-अपराध
सहायक पुलिस महानिरीक्षक-(मुख्यालय)
कमांडेंट- एसएपी
कमांडेंट आईआर बटालियन "

[फा. सं. 11052/03/2017-अ.भा.से.-II(ख)]

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान नियमों को दिनांक 23.09.2016 के सा.का.नि. 910(अ) के द्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किए गए थे।

क्रम सं.	सा.का.नि.	दिनांक
1.	84 अ	01.02.17
2.	82 अ	01.02.17
3.	487 अ	19.05.17

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2017

G.S.R. 646(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Sikkim** hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 2016, namely: —

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 2016, in schedule II,—
in Part A relating to posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Police Service under the State Governments, in the table, for the entry “Sikkim” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

“SIKKIM

Director General of Police, Sikkim	Level 17 in the pay matrix
Additional Director General of Police- SB	Level 15 in the pay matrix
Additional Director General of Police- CID & CP	Level 15 in the pay matrix
Inspector General of Police, HQ	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police, Armed Police & Training	Level 14 in the pay matrix
Inspector General of Police- Law & Order	Level 14 in the pay matrix
Director, Sikkim Vigilance Police Force	Level 14 in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police- Spl. Branch	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police- Range	Level 13A in the pay matrix
Deputy Inspector General of Police- Plan./Mordn./Comn.	Level 13A in the pay matrix

(b) in Part B relating to posts carrying pay in the senior scale of the Indian Police Service under the State Governments including posts carrying special allowance in addition to pay, for the entries occurring under ‘Sikkim the following shall be substituted in the table,—

“Superintendent of Police- Districts
Superintendent of Police- Crime
Assistant Inspector General of Police- (HQ)
Commandant- SAP
Commandant IR Bn.

[F. No. 11052/03/2017- AIS-II (B)]

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 910(E) dated the 23th September, 2016.

Sl.No.	GSR No.	Date
1.	84E	01.02.17
2.	82E	01.02.17
3.	487E	19.05.17

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.30 17:53:04 +05'30'